XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक आर.1452–दो/02 जिला–मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20–7–15	आवेदक की ओर से श्री एस.के.अवस्थी, अभि. उप.। आवेदक अभि. द्वारा अना. क. 2,3 एवं 4 का सही पता बार–बार आदेश देने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
4-9-15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्को पर विचार किया । विचारोपरान्त आवेदक अभि. द्वारा न्यायालयीन आदेश का पालन न करने की दशा में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

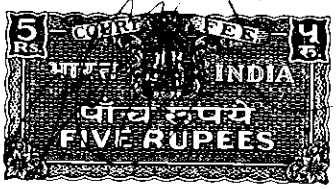

1452-III/2002

22 JUN 2002

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००२ निगरानी

१। महिला रामश्री बेवा श्री रूपसिंह निवासिन ग्राम किसनपुरा, तहसील अम्बाह, जिला मुरैना, म०प्र०

२। नारायण पुत्र श्री दयाराम, निवासी ग्राम सिहोनिया, तहसील व जिला मुरैना, म०प्र० -- प्रार्थीगण

विरुद्ध

श्री तुलाराम पुत्र श्री गेंदा, निवासी ग्राम सिहोनिया, तहसील व जिला मुरैना, म०प्र० -- प्रतिप्रार्थी

निगरानी विरुद्ध आदेश अपर आयुक्त महोदय, चम्बल संभाग मुरैना दिनांक २८-३-२००२ अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता, १९५९ । प्र०क्र० १०८, स० २।९३-९४ अपील ।

श्रीमान,

निगरानी का आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि अपर आयुक्त महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

(२) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने द्वितीय अपीलीय न्यायालय के कर्तव्यों को समुचित निर्वहन नहीं किया ।

(३) यहकि अपर आयुक्त महोदय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा ।

(४) यहकि पंजीकृत विक्रय पत्र के सम्बन्ध में जांच करने का कोई अधिकार राजस्व न्यायालयों को न होने से विवादि